भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2111

सोमवार, 5 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक)

असंगठित मजदूरों के हितों की रक्षा

2111. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए पिछले तीन वर्षों में कोई नए उपाय किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए उपायों और कार्यान्वित किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अनुसार, सरकार को असंगठित क्षेत्र के कामगारों को जीवन और निःशक्तता कवर, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएँ तैयार करके सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिदेशित किया गया है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

(i) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और नि:शक्तता कवर प्रदान किया जाता है। पीएमजेजेबीवाई योजना के तहत जोखिम कवरेज किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर 436/- रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 2.00 लाख रुपए है। पीएमएसबीवाई के तहत जोखिम कवरेज 20 रुपए प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी नि:शक्तता के मामले में 2.00 लाख रुपए और दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी नि:शक्तता के लिए 1.00 लाख रुपए है।

जारी-2--

(ii) वंचन और व्यवसाय मानदंडों के अंतर्गत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के माध्यम से स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा सुनिश्चित की जाती है। इसमें द्वितीयक और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5.00 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।

(iii) भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना की शुरुआत की। इसमें 60 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात असंगठित कामगारों के लिए न्यूनतम 3000/- रुपए की सुनिश्चित मासिक पेंशन का प्रावधान है।

उपर्युक्त के अलावा, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए उनकी पात्रता से संबंधित मानदंडों के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना, पीएमस्वनिधि, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि जैसी अन्य योजनाएं भी उपलब्ध हैं।

*****